कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की दिनांक : 11.11.2022 को सम्पन्न 16वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 11–11–2022 को मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक विधानसभा कक्ष संख्या–120 में सम्पन्न हुई। बैठक की उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1. श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, आवास/शहरी विकास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य प्रशासक, उडा (उपाध्यक्ष)
2. सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, सचिव (प्रभारी), आवास विभाग/अपर मुख्य प्रशासक, उडा (पदेन सदस्य)
3. श्री दीपेन्द्र चौधरी, सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
5. श्री देवकृष्ण तिवारी, अपर सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
6. श्री धर्म सिंह, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
7. श्री हरीश सागर, अनुसचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
8. श्री आनन्द सिंह, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (पदेन सदस्य)
9. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (पदेन सदस्य)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थित अधिकारीगण–

1. श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. श्री आनन्द राम, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3. श्री विनोद चौहान, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में व्यापक विचार–विर्मश किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त एजेण्डा के प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

एजेण्डा बिन्दु–16.01

15वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि

15वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त समस्त सम्बन्धित सदस्यगण को पत्रांक–979, दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त पर किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः 15वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय – राज्य प्राधिकरण के 15वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

उत्तराखण्ड सरकार

एजेण्डा बिन्दु–16.02

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन से बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा अनुपालन का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–16.03

प्रस्तावः– वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के संबंध में।

विवरणः–वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय के प्रस्ताव का विवरण **अनुलग्नक–'क'** पर प्रस्तुत है, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण की आय रू0 11905.60 लाख के सापेक्ष व्यय रू0 11197.86 लाख प्रस्तावित है।

अतः प्राधिकरण आय–व्यय का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– राज्य प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट प्राप्तियाँ (रू0 11905.60 लाख के सापेक्ष व्यय रू0 11197.86 लाख) का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। वाहन मद में दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार वाहन क्रय किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु–16.04

प्रस्तावः– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0335/21–22 डा0 अश्वनी काम्बोज पुत्र श्री डी0पी0आर0 खाता खतौनी नं0–106 व 107 खसरा नम्बर 9क मि0 स्थित कुल्हान करनपुर परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विवरणः–संयुक्त सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्रांक–588/मानचित्र सेल/2022 दिनांकः 25.05.2022 के माध्यम से मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0335/21–22 डा0 अश्वनी काम्बोज पुत्र श्री डी0पी0 सिंह खाता खतौनी नं0–106 व 107 (फसली वर्ष 1414–1419) खसरा नम्बर 9क मि0 स्थित कुल्हान करनपुर परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2021 के विषय क्रमांक–66 पर रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त शासनादेशानुसार 50 प्रतिशत से अधिक शिथिलता का अधिकार शासन में निहित होने के फलस्वरूप प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार शिथिलता का प्रस्ताव शासन को कार्यालय के पत्रांक–2217/मानिचत्र सेल/21–22 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा प्रेषित किया गया।

वर्तमान में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक डा0 अश्वनी काम्बोज पुत्र श्री डी0पी0 सिंह द्वारा संशोधित मानचित्र आवेदित किया गया है तथा संशोधित मानचित्र पर निम्नवत् कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया हैः–

1. संशोधित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड का फ्रन्टेज 20 मी0 तथा गहराई 28.32 मी0 दर्शायी गयी है। मानकानुसार आवश्यक फ्रन्टेज 20 मी0 तथा गहराई 20 मी0 आवश्यक है।
2. क्रांसिग से दूरी 56.51 मी0 दर्शायी गयी है, जो कि मानकों के अनुसार 100 मी0 आवश्यक है। अतः क्रांसिग में शिथिलता 43.49 प्रतिशत आवश्यक है, जो कि पूर्व मानचित्र के अनुसार 54.50 प्रतिशत थी।

उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा दिनांकः 07.06.2022 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को अपना अभिमत प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर दिनांकः 12.08.2022 को परीक्षण करते हुए निम्नानुसार बिन्दुवार अभिमत प्रेषित किया गयाः–

1. प्रश्नगत प्रकरण में डा0 अश्वनी काम्बोज पुत्र श्री डी0पी0 सिंह द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तावित किया गया है। संशोधित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड का फ्रन्ट 20.0 मीटर तथा गहराई 28.32 मीटर दर्शायी गयी है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 20X20 कुल 400.0 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल आवश्यक है।
2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार क्रासिंग/टी–जंक्शन से दूरी 100.0 मीटर के सापेक्ष आवेदक द्वारा पुनः प्रस्तुत मानचित्र में दूरी 56.51 मीटर दर्शायी है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में

कासिंग/टी–जंक्शन से दूरी 43.49 प्रतिशत शिथिलता की आवश्यकता है। शासनादेश संख्या– 1311 दिनांकः 26.07.2021 के अनुसार 25–50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान करने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण में निहित है। अतः प्रश्नगत प्रकरण के कासिंग/ टी–जंक्शन में शिथिलता उडा बोर्ड स्तर से प्रदान की जायेगी।

3. प्रश्नगत भू–खण्ड का नेट प्लॉट एरिया 566.40 वर्गमीटर है। प्रश्नगत स्थल 33.00 मीटर चौडै मार्ग पर कुल्हान करनपुर अन्तर्गत स्थित है। प्रश्नगत कासिंग/टी–जंक्शन पर होने वाले यातायात दवाब को कम करने हेतु भूखण्ड के अग्रभाग में 7.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन प्रस्तावित किये जाने तथा भू–खण्ड के एक ओर प्रवेश तथा दूसरी ओर निकास प्रस्तावित किये जाने उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण पर शासनादेश संख्याः–1647/V–2/2021–11(एल0यू0सी0)/2003 टी0सी0 दिनांकः 05 अक्टूबर, 2021 के आलोक में शिथिलता हेतु विचार किया जाना उचित होगा।

अतः मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के सापेक्ष वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा आवेदक के अनुरोध के क्रम में इस कार्यालय में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु संख्या–02 में तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा प्रेषित अभिमत पर शासनादेश सं0–1311/V-2/2021–10(आ0)/2020 दिनांक 26.07.2021 में उल्लिखित प्राविधानानुसार क्रांसिग में 43.49 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रकरण में 43.49 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता उडा द्वारा अवगत कराया गया कि सहस्रधारा मार्ग पर मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण कालोनी के पास एकमात्र पेट्रोल पम्प है। इससे आगे कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं है। इस पेट्रोल पम्प के निर्माण से वाहनों को ईधन भरवाने हेतु शहर की ओर नहीं आना पड़ेगा और शहर में यातायात का दबाव कम होगा। उक्त परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए चौराहे से दूरी में 43.49 प्रतिशत की शिथिलता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि शिथिलता के उपरांत स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष कोई भी विचलन शमनीय नहीं होगा। उक्त स्थल पर यातायात के दबाव को कम करने हेतु भूखण्ड के अग्रभाग में 7.5 मी0 सर्विस लेन तथा प्रवेश एवं निकासी हेतु 06–06 मी0 की पृथक–पृथक व्यवस्था करनी होगी।

एजेण्डा बिन्दु–16.05

प्रस्ताव :– श्री जगदीश प्रसाद द्वारा आवेदित खसरा नं0 515ख, 517क, 515ग, 516ख, 519मिन कुल रकबा 0.2302 हे0 मौजा नत्थनपुर देहरादून में गेस्ट हाउस के मानचित्र में पहुँच मार्ग की शिथिलता के सम्बन्ध में।

विवरण – कृपया अवगत कराया जाना है कि सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक–2533/मदेविप्रा/नि0अनु0/मार्ग शिथि0/2021, दिनांक 09.12.2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से श्री जगदीश प्रसाद द्वारा आवेदित खसरा नं0 515ख, 517क, 515ग, 519ख, 519मिन कुल रकबा 0.2302 हे0 मौजा नत्थनपुर देहरादून में गेस्ट हाउस के मानचित्र में पहुँच मार्ग की शिथिलता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सन्दर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है। अतः शासनादेश संख्या–1311/V–2/21–10(आ0)/2020, दिनांक 26.07.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मार्ग में शिथिलता हेतु प्रकरण उडा को सन्दर्भित किया जाय।

इस कार्यालय के पत्रांक–1061/उडा–622/2021–22, दिनांक 16.12.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सन्दर्भित पत्र समस्त संलग्नकों सहित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को शासनादेश संख्या–1311/V–2/21–10(आ0)/2020, दिनांक 26.07.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक–1061/उडा–622/2021–22, दिनांक 16.12.2021 के क्रम में मुख्यालय

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून के पत्रांक–60/नग्रानि/उडा/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण करते हुए निम्नानुसार बिन्दुवार अभिमत प्रेषित किया गयाः–

- प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्यालय के पूर्व पत्राक–986/नग्रानि/म0दे0वि0प्रा0/2020 दिनांक 06 अगस्त 2020 द्वारा सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण को विभागीय आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की भूमि खसरा सं0–515ख, 517क, 515ग, 516ख, 519मि0 कुल रक्बा–0.2302 हैक्टेयर मौजा–नत्थनपुर देहरादून अंतर्गत प्रस्तावित स्थल का देहरादून महायोजना के जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग मिश्रित आवासीय अंतर्गत है। स्थल के दायी और पार्श्व में 9.0 मी0 नव प्रस्तावित जोनल प्लान मार्ग प्रदर्शित किया गया।
- प्रश्नगत प्रकरण गेस्ट हाउस के शमन हेतु पहुँच मार्ग में छूट लिये जाने हेतु जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त के अनुसार आवेदक का भू–खण्ड देहरादून से हरिद्वार को जाने वाले रोड़ कैलाश अस्पताल के निकट दायी ओर स्थित है। मुख्य हरिद्वार मार्ग की महायोजना में चौडाई 50.0 मी0 प्रस्तावित है, से 84.0 मी0 की दूरी पर 4.25 मी0 चौड़े डैड एण्ड मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। भवन उपविधि के अनुसार (शासनादेश संख्या–39/V–2–2019–55(आ0)/2016 आवास अनुभाग–2 दिनांक 05 फरवरी, 2019) ऐसे डैड एण्ड मार्ग जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 6.0 मी0 तथा लम्बाई मुख्य वाहनीय मार्ग से 200.0 मी0 हो, पर स्थित भू–खण्ड हेतु उक्त चाहनीय मार्ग को भू–खण्ड का पहुँच मार्ग माना जायेगा। अतः व्यवसायिक गेस्ट हाउस के निर्माण को शमन करने हेतु निर्धारित मार्ग चौड़ाई 6.0 मी0 के सापेक्ष 4.25 मी0 चौड़े मार्ग उपलब्ध है, जिसमें 1.75 मी0 या 30 प्रतिशत मार्ग चौड़ाई की शिथिलता अपेक्षित है।
- प्रश्नगत स्थल पर भवन विद्यमान है जिसमें बेसमेन्ट, भूतल प्रथम तल एवं द्वितीय तल में तीन हॉल तथा ऊपरी तल पर कमरे निर्मित है। यदि पहुँच मार्ग में शिथिलता पर विचार किया जाता है तो भवन को पार्टी हॉल/वैंकेट हॉल, Assembly Building का प्राविधान संकरे पहुंच मार्ग होने के दृष्टिगत अनुमन्य किया जाना उचित नहीं होगा तथापि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के प्रस्तर 2.27 में वर्णित गेस्ट हाउस की परिभाषा अनुसार अनमुन्य क्रियाकलाप हेतु ही गेस्ट हाउस निर्माण पर पहुँच मार्ग में शिथिलता प्रदान किये जाने तथा उडा बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व निम्न प्रतिबन्धों की पुष्टि उपरान्त मार्ग शिथिलता पर विचार किया जाना उचित होगाः–
  1. आवेदक के गेस्ट हाउस पर अग्नि शमन विभाग द्वारा अग्नि शमन वाहन के सुचारू आवागमन हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी, जिसके बेसमेन्ट के उपयोग के संबंध में भी दिशा–निर्देश दिये गये है। उक्त का अनुपालन आवश्यक होगा।
  2. गेस्ट हाउस पहुँच मार्ग में कमी के सापेक्ष उतने ही अनुपात में एफ0ए0आर0 कम किये जाने की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा।
  3. प्रश्नगत स्थल के दांयी ओर पार्श्व में जोनल प्लान में प्रस्तावित 9.00 मी0 चौड़े मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त क्रम में शासनादेश संख्या–1311/V–2/21–10(आ0)/2020, दिनांक 26.07.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में शमन हेतु निर्धारित 6.0 मी0 चौड़े पहुँच मार्ग के सापेक्ष 4.25 मी0 चौड़े मार्ग की उपलब्धता है, जिसमें 1.75 मी0 या 29.16 प्रतिशत शिथिलता पर उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों के साथ उडा बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त शिथिलीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्मित संरचना के शमन के प्रकरणों में शिथिलता दिये जाने संबंधी विषय शासन स्तर से विधिक राय हेतु न्याय विभाग को संदर्भित किया गया है। न्याय विभाग से राय प्राप्त होने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–16.06

प्रस्ताव :– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2126/19–20 श्रीमती प्रेरणा व्यास पत्नी श्री अंशुल व्यास खसरा नम्बर 117मि0, 118मि0, ग्राम अजबपुरकलां (माता मन्दिर रोड़) परगना सेन्ट्रल दून देहरादून पर पेट्रोल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विवरण :– मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक–3705/मानचित्र सेल/20–21, दिनांक 04.12.2021 द्वारा पूर्व में मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2126/19–20 श्रीमती प्रेरणा व्यास पत्नी श्री अंशुल व्यास खसरा नम्बर 117मि0, 118मि0, ग्राम अजबपुरकलां (माता मन्दिर रोड़) परगना सेन्ट्रल दून देहरादून पर पेट्रोल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। तदोपरान्त संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक–3912/मानचित्र सेल/20–21, दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रेषित पत्रांक–3705/मानचित्र सेल/20–21, दिनांक 04.12.2021 में दो पेट्रोल पम्प की परस्पर दूरी 150 मीटर लिखी गयी थी, जो कि वर्तमान में 154 मीटर है। उक्त प्रकरण का परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत लिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1189/उडा–615/शिथिलीकरण/2021–22, दिनांक 18.01.2022 के माध्यम से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून ने पत्रांक–340/नग्रानि/उडा/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा उक्त प्रकरण पर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी, जो कि निम्नवत् हैः–

1. प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्यालय पत्रांक 319 दिनांकः 10 फरवरी 2021 द्वारा आख्या पूर्व में प्रेषित की गयी है।
2. मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पूर्व पत्रांक–3705/मानचित्र सेल/2021 दिनांक 14–12–2021 में वर्णित अनुसार आवेदक का पेट्रोल पम्प दूसरे पेट्रोल पम्प से 150.0 मी0 दूरी पर स्थित होने का वर्णन किया गया है। जबकि लोक निर्माण विभाग के पत्राक– 147/24 सी० दिनांक 14–11–2020 में माता मंदिर रोड ग्राम– अजबपुर कलां पर स्थित दोनों फिलिंग स्टेशनों की मध्य की दूरी 154.0 मी० का उल्लेख किया गया है। जिसका संशोधन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–3912/मानचित्र सैल/20–21 दिनांकः– 18 दिसम्बर, 2021 द्वारा भी किया गया है।
3. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के बिन्दु संख्या–714 फिलिंग–कम–सर्विस स्टेशन के 2 मानकों में संशोधन संबंधी शासनादेश सं०–1647/V–2/2021(एल०यू०सी०)/2003 टी०सी० दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुसार दो पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के मध्य परस्पर दूरी 300.0 मी० निर्धारित की गयी है।
4. शासनादेश संख्या–1311/V–2/21–10(30)/2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 25–50 प्रतिशत तक की शिथिलता का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा तथा 50 प्रतिशत से अधिक शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार शासन में निहित है।
5. मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्रों एवं लोक निर्माण विभाग के पत्र में प्रश्नगत स्थल पर दो पैट्रोल पम्प के मध्य की दूरी 154.0 मी० का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में स्थल निरीक्षण कर उक्त पुष्टि उपरान्त शासनादेश संख्या–1311, दिनांक 26.07.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण की शिथिलता पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–35/Uhuda-615/2021–22 दिनांकः 13.04.2022 के माध्यम से मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्रांक–3912/मानचित्र सेल/20–21, दिनांक 18.12.2021 पर कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपेक्षित की गयी। तत्क्रम में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पत्रांक–586/मानचित्र सेल/2021–22 दिनांकः 25.05.2022 के माध्यम से बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी, जो कि निम्नवत् है :–

1. प्रश्नगत स्थल माता मन्दिर रोड़ पर रेलवे फाटक से आगे बांई ओर है। प्रश्नगत स्थल से आगे धर्मपुर की ओर जाते समय बाई ओर अन्य पेट्रोल पम्प संचालित है, जिसमें दोनों के मध्य मात्र 150.0 मी0 की दूरी है।
2. उक्त दोनों पेट्रोल पम्प धर्मपुर की ओर जाते समय सड़क के बांई ओर स्थित है।
3. सड़क पर डिवाईडर निर्मित नहीं है।

उपरोक्त प्रकरण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्रेषित अभिमत के आधार पर 50 प्रतिशत की शिथिलता दी जानी प्रस्तावित है।

शासनादेश संख्या–1311/V-2/21–10(आ0)/2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकों में 25–50 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार उडा के क्षेत्रान्तर्गत है। अतः शासनादेश संख्या 1647/V-2/2021–11(एल0यू0सी0)/2003 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार 02 पैट्रोल पम्प के मध्य आवश्यक दूरी 300.0 मी0 के स्थान पर 150.0 मी0 होने के दृष्टिगत 50 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्मित संरचना के शमन के प्रकरणों में शिथिलता दिये जाने संबंधी विषय शासन स्तर से विधिक राय हेतु न्याय विभाग को संदर्भित किया गया है। न्याय विभाग से राय प्राप्त होने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–16.07

प्रस्ताव :– राज्य में नए शहरों की स्थापना के संबंध में।

विवरण :– मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड में नए शहरों की स्थापना किये जाने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है, तत्क्रम में उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या ई0–38274 देहरादून दिनांक 20–09–2022 के माध्यम से राज्य में नये नगरों की स्थापना (New Cities) हेतु 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उक्त टास्क फोर्स उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा E&Y के माध्यम से तैयार किये गये आवास विभाग के विजन प्लान के अनुसार विभिन्न नगरों के 22 प्रस्तावित स्थलों का चयन किया गया है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप आवास अनुभाग–2 ई फाईल संख्या –70222 देहरादून 13–10–2022 के माध्यम से उक्त 22 स्थलों के स्थलीय निरीक्षण कर प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपद देहरादून /हरिद्वार, जनपद पौड़ी/उत्तरकाशी/चमोली, जनपद नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़ तथा उधमसिंह नगर हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। उक्त समिति निर्धारित 20 बिन्दुओं के आलोक में प्रस्तावित स्थलों का सम्यक् परीक्षण /सर्वेक्षण/अध्ययन करते हुए आख्या राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगी तथा प्राप्त आख्या शासन को प्रेषित की जाएगी **(अनुलग्नक–ख)**।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ एवं दिशा–निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– राज्य में नए शहरों की स्थापना किये जाने हेतु कराये गये परीक्षण/सर्वे/अध्ययन की आख्या माह नवम्बर तक तैयार कर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित की जाय।

एजेण्डा बिन्दु–16.08

प्रस्ताव :– अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय–समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय–समय पर संशोधित को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

विवरण :– उत्तराखण्ड ग्राम एवं नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (यथा समय–समय पर संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा 13 जनपद

स्तरीय विकास प्राधिकरण हैं। प्राधिकरणों में केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश विकास प्रशिक्षण प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 शासन द्वारा अंगीकृत कर अधिसूचित की गयी है। अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरणों में अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु नियमावली न होने के कारण सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पा रही है।

उक्त के दृष्टिगत राज्य में प्रचलित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय–समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय–समय पर संशोधित को अंगीकृत करते हुए विकास प्राधिकरणों में लिपिक संवर्गीय एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती की जा सकती है। (अनुलग्नक–ग)। उक्त समस्त सीधी भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिलावार उपलब्ध पदों पर की जाएगी।

1. राज्य प्राधिकरण तथा 13 विकास प्राधिकरणों को उक्त दोनों नियमावलियों को अंगीकृत करना होगा।
2. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा चयन करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को अधियाचन भेजा जाना है।
3. राज्य प्राधिकरण स्तर पर मुख्य प्रशासक तथा विकास प्राधिकरणों के स्तर पर उपाध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे, लेकिन उक्त संवर्गों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर पदोन्नति एवं तैनाती (राज्य स्तर संवर्गीय) तैनाती हेतु मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास विकास एवं नगर विकास प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

अतः निम्नलिखित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय–समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय–समय पर संशोधित को अंगीकृत करना तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों एवं मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण से उक्त नियमावलियों को अंगीकृत करने हेतु अनुरोध करना।

निर्णय :– निम्नवत् निर्णय लिया जाता है :–

1. **उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हेतु उक्त दोनों नियमावलियों को अंगीकृत किया जाता है।**
2. **मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार तथा अन्य 11 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड भी उक्त दोनों नियमावलियों को अंगीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर लें।**
3. **लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा चयन करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को अधियाचन भेजा जाये।**
4. **लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण स्तर पर मुख्य प्रशासक तथा विकास प्राधिकरणों के स्तर पर उपाध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।**
5. **लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर पदोन्नति एवं तैनाती (राज्य स्तर संवर्गीय) हेतु मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।**

तदनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार

प्रस्ताव संख्या–01

मौजा बिधौली में खसरा न0–153क, 153ख, कुल रकबा 732.00 वर्गमीटर भूमि पर हॉस्टल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु मार्ग चौड़ाई में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

श्रीमती ऊषा सुरीरा, 130/1, विजय कॉलोनी, हाथीबड़कला, देहरादून के आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2022 में हॉस्टल हेतु आवेदन किया गया है। उक्त के संबंध में अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–I/48480/2022 दिनांकः 08.07.2022 के माध्यम से मौजा बिधौली में खसरा न0–153क, 153ख, कुल रकबा 732.00 वर्गमीटर भूमि पर हॉस्टल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु मार्ग चौड़ाई में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है कि "भवन उपविधि के शासनादेश संख्या–40/V-2/2022–55(आ0)/2006टी0सी0–1 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार हॉस्टल हेतु 12.0 मी0 मार्ग आवश्यक है। प्रश्नगत स्थल फुटहील लेन में हैं इसलिए 9.0 मी0 मार्ग आवश्यक है। प्रस्तावित भू–खण्ड में 6.33 मी0 मार्ग वर्तमान में उपलब्ध है, जिसके दृष्टिगत मार्ग चौड़ाई में आवश्यक मार्ग चौड़ाई 9.0 मी0 के सापेक्ष उपलब्ध मार्ग चौड़ाई 6.33 मी0 होने के कारण 2.67 मी0 अर्थात् 29.66 प्रतिशत की शिथिलता आवश्यक है। शासनादेश सं0–1311/V-2/2021–10(आ0)/2020 दिनांक 26.07.2021 में उल्लिखित प्राविधानानुसार 25–50 प्रतिशत की शिथिलता उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण स्तर से दी जानी है।" उक्त प्रकरण पर शिथिलता दिये जाने के संबंध में उडा बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है।

प्रश्नगत प्रकरण पर शिथिलता दिये जाने के संबंध में उडा बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामित्व एवं मानचित्र के अन्य समस्त तकनीकी बिन्दुओं पर परीक्षण करने के प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त प्रकरण में मार्ग की चौड़ाई में 29.66 प्रतिशत की शिथिलता निम्नवत् प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :–

1. **विद्यमान मार्ग के मध्य से 4.50 मी0 मार्ग विस्तार हेतु आवश्यक प्राविधान कर मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही स्थल पर निर्माण किया जाएगा।**
2. **स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किया गया निर्मित्त संरचना शमनीय नहीं होगी।**

प्रस्ताव संख्या–02

पत्रावली संख्या ओ0सी0–0573/21–22 श्री पूरन प्रकाश सब्रवाल पुत्र स्व0 श्री जयाराम सब्रवाल एवं श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री पूरन प्रकाश सब्रवाल के भूखण्ड खसरा सं0–18क, 16ख, 19क ख, 20, 24, 25 मौजा ग्राम–जाखन जिला देहरादून अंतर्गत प्रस्तावित वैडिंग प्वाइन्ट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

अक्षीक्षण अभियन्यता, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक– 3368/उडा दिनांक 02.03.2022 के माध्यम से पत्रावली संख्या ओ0सी0–0573/21–22 श्री पूरन प्रकाश सब्रवाल पुत्र स्व0 श्री जयाराम सब्रवाल एवं श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री पूरन प्रकाश सब्रवाल के भूखण्ड खसरा सं0–18क, 16ख, 19क ख, 20, 24, 25 मौजा ग्राम–जाखन जिला देहरादून अंतर्गत प्रस्तावित वैडिंग प्वाइन्ट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून सन्दर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष दिनांक 14.12.2021 को रखा गया। बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिथिलता संबंधी प्रस्ताव शासनादेश संख्या–1311/V-2 /21–10(आ0)/2020, दिनांक 26.07.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया जाय।

इस कार्यालय के पत्रांक–158/Uhuda-653/2021–22 दिनांकः 26.03.2022 द्वारा सन्दर्भित पत्र समस्त संलग्कों सहित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को शासनादेश सं0– 1311/V-2/21–10(आ0)/2020, दिनांक 26.07.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रकरण का परीक्षण कर विभागीय अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, देहरादून के पत्रांक–560/नग्रानि/ उडा/2022 दिनांकः 11.04.2022 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण करते हुए निम्नानुसार बिन्दुवार अभिमत प्रेषित किया गया है :–

1. मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र सं0–3368/उडा दिनांकः 02.03.2022 में वर्णित अनुसार प्रस्तुत मानचित्र पत्रावली संख्या ओ0सी0–0573/21–22 श्री पूरन प्रकाश सब्रवाल पुत्र स्व0 श्री जयाराम सब्रवाल एवं श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री पूरन प्रकाश सब्रवाल के भूखण्ड खसरा स0–18क, 16ख, 19क ख, 20, 24, 25 मौजा ग्राम–जाखन जिला देहरादून अंतर्गत प्रस्तावित वैडिंग प्वाइन्ट प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2021 के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रकरण पर शिथिलता संबंधी प्रस्ताव को शासनादेशानुसार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रश्नगत स्थल का देहरादून महायोजना–2025 के जोनल प्लान में भू–उपयोग निम्नवत् हैः–

खसरा संख्या	ग्राम	देहरादून महायोजना–2025 के जोनल प्लान में भू–उपयोग
16	जाखन	आवासीय एवं नाला
18	जाखन	आवासीय एवं नाला
19, 20	जाखन	24.0 मी0 महायोजना मार्ग उपरान्त आवासीय
24	जाखन	आवासीय
25	जाखन	आवासीय तथा आंशिक भाग नाला

3. यद्यपि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्याओं का भू–उपयोग अधिकांशतः आवासीय है। देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार आवासीय भू–उपयोग अंतर्गत वैडिंग प्वाइन्ट प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है।
4. प्रश्नगत स्थल राजपुर रोड़ में जोहडी को जोड़ने वाले 24.0 मी0 चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग से संबद्ध 9.0 मी0 चौड़े विद्यमान पहुंच मार्ग पर दर्शाया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के प्राविधानानुसार वैडिंग प्वाइन्ट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 18.0 मी0 निर्धारित की गयी है। अतः वेडिंग प्वाइन्ट हेतु आवश्यक 18.0 मी0 पहुंच मार्ग के सापेक्ष विद्यमान 9.0 मी0 चौड़े पहुंच मार्ग में 50 प्रतिशत शिथिलता की आवश्यकता है। शासनादेश सं0–1311/V-2/21–10(आ0)/2020 दिनांकः 26 जुलाई, 2021 के प्राविधानानुसार 25–50 प्रतिशत तक मार्ग शिथिलता उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित है।
5. प्रश्नगत स्थल/क्षेत्र का गूगल मैप अंतर्गत अवलोकन करने पर प्रश्नगत स्थल मुख्य राजपुर रोड़ से लगभग 425.0 मी0 की दूरी पर 24.0 मी0 चौड़े जोहडी–जाखन मार्ग पर स्थित है। उक्त की पुष्टि आवेदक के पत्र द्वारा भी होती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में प्रश्नगत स्थल आंशिक भाग 24.0 मी0 चौड़े जोहरी मार्ग से संलग्न 9.0 मी0 चौड़े मार्ग पर दर्शाया गया है।
6. प्रश्नगत स्थल के एक ओर 24.0 मी0 मार्ग एवं वन तथा प्रश्नगत स्थल के दूसरी ओर नाला तथा पृष्ट भाग में वृहद स्तर की ग्रुप हाउसिंग स्थित दृष्टिगोचर होती है। प्रश्नगत स्थल/वेडिंग प्वाइन्ट मानचित्र में 24.0 मी0 चौड़े जाखन–जोहडी मार्ग से संलग्न 9.0 मी0 चौड़े मार्ग तथा उक्त मार्ग के उपरान्त खुली भूमि पर प्रश्नगत स्थल का प्रवेश एवं निकास को दर्शाया गया है। देहरादून महायोजना–2025 के जोनल प्लान में प्रश्नगत स्थल के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का भू–उपयोग आवासीय अंतर्गत प्रदर्शित नहीं है। प्रश्नगत स्थल के कतिपय भाग भू–उपयोग 24.0 मी0 मार्ग तथा आंशिक भाग को नाला (Low land) भू–उपयोग अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. प्रश्नगत स्थल/वेडिंग प्वाइन्ट के देहरादून महायोजना–2025 के जोनल प्लान में नाला एवं मार्ग भू–उपयोग अंतर्गत प्रदर्शित भूमि क्षेत्रफल को छोड़ते हुये शेष भाग आवासीय है। प्रश्नगत स्थल राजपुर रोड़ के समीप लगभग 425.0 मी0 की दूरी पर स्थित है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत अन्य सामुदायिक गतिविधि/वेडिंग प्वाइन्ट स्थित न होने तथा प्रश्नगत क्षेत्र में विरल आबादी स्थित होने से यातायात प्रवाह पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। अतः प्रश्नगत वेडिंग प्वाइन्ट हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के अनुसार आवश्यक 18.0 मी0 चौड़े मार्ग के सापेक्ष 9.0 मी0 पहुंच मार्ग उपलब्ध होने के दृष्टिगत आवेदक के भू–खण्ड में से आवश्यक 18.0 मी0 मार्गाधिकार चौड़ाई सुनिश्चित करने के पश्चात् वेडिंग प्वॉइन्ट के पहुँच मार्ग चौड़ाई में 50 प्रतिशत शिथिलता पर विचार उडा बोर्ड द्वारा किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित है।

उपरोक्त प्रकरण के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 56, दिनांक 22.04.2022 एवं पत्रांक–721/Uhuda-653/2021–22 दिनांक 22.10.2022 द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून से प्राप्त पत्रांक–560/नग्रानि/उडा/2022 दिनांकः 11.04.2022 में अंकित अभिमत का संज्ञान लेने हेतु एवं समस्त तथ्यों का पुनः परीक्षण कर प्रश्नगत क्षेत्र के यातायात प्रवाह के संबंध में सुस्पष्ट आख्या सहित अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्रांक–मेमो/SE MDDA दिनांक 07.11.2022 के माध्यम से निम्न आख्या प्रेषित की गयी है "प्रार्थीयों द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित वैडिंग प्वाईन्ट को प्रस्तुत किया गया है। यह वैडिंग प्वाईन्ट लगभग 20 वर्षों से विद्यमान तथा उक्त वैडिंग प्वाईन्ट संचालन के कारण यातायात आवागमन में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव आना भी संज्ञान में नहीं है। इनके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में पार्किंग आदि की समस्त सुविधाएं अपनी भूमि में बॉयलाज के अनुसार प्रस्तुत की गयी है।"

प्रश्नगत प्रकरण पर शिथिलता दिये जाने के संबंध में उडा बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामित्व एवं मानचित्र के अन्य समस्त तकनीकी बिन्दुओं पर परीक्षण करने के प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्मित संरचना के शमन के प्रकरणों में शिथिलता दिये जाने संबंधी विषय शासन स्तर से विधिक राय हेतु न्याय विभाग को संदर्भित किया गया है। न्याय विभाग से राय प्राप्त होने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अन्त में सचिव (प्रभारी), आवास द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों तथा अधिकारीगण का आभार व्यक्त करते हुए, मा0 अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य प्रशासक

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
राजीव गाँधी बहुद्देशीय कॉम्पलेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड़, देहरादून
Email id- uhudauk@gmail.com Phone No. 0135-2719500

पत्रांकः– 292/उडा–24(4)/बोर्ड बैठक/2020–21, दिनांक : 01, दिसंबर 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं पर्यावरण संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव (प्रभारी), आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
12. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
13. बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यगण एवं अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल।

01/12/2022

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
संयुक्त मुख्य प्रशासक